प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तैंतालीस'

[15/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 3975]

परिशिष्ट–एक

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3975 अतारांकित द्वारा श्री राम लल्लू वैश्य के प्रश्नांश 'ग' के उत्तर की जानकारी

एकलव्य शिक्षा विकास योजना से संबंधित मापदण्ड निम्नानुसार है :–

1. आवेदक द्वारा विगत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
2. आवेदक यदि संग्राहक का पुत्र अथवा पुत्री है तो संग्राहक द्वारा विगत 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया जाना चाहिये।
3. छात्रवृत्ति हेतु जो दरें निर्धारित की गई हैं, वे अधिकतम हैं अर्थात् इस राशि में से अन्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाली राशि को कम करने के पश्चात् या छात्र द्वारा वास्तविक रूप से व्यय की जाने वाली राशि (इनमें से जो भी कम हो) की पात्रता होगी।
4. शिक्षण संस्था के छात्रावास में रहने की स्थिति में छात्रावास किराया एवं छात्रावास स्थित मेस में खाने की प्रतिपूर्ति की जावेगी।
5. वर्ष में एक बार ही अपने घर से शैक्षणिक स्थल पर आने–जाने हेतु निकटतम मार्ग से बस/रेल के स्लीपर श्रेणी अथवा साधारण श्रेणी से यात्रा की पात्रता होगी।

योजना की सुविधायें :–

इस योजना अंतर्गत चयनित छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार छात्रवृत्ति अधिकतम सीमा तक दी जाती है।

- स्कूल शिक्षा
  कक्षा 9–10 के विद्यार्थियों के लिए रू. 12,000/– प्रतिवर्ष
  कक्षा 11–12 के विद्यार्थियों के लिए रू. 15,000/– प्रतिवर्ष
- उच्च शिक्षा गैर तकनीकी स्नातक स्तर रूपये 20,000/– प्रतिवर्ष
- तकनीकी शिक्षा स्नातक स्तर रू. 50,000/– प्रतिवर्ष

एकलव्य शिक्षा विकास योजना अंतर्गत सिंगरौली जिले में वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 109 एवं 124 संग्राहक परिवारों को क्रमशः राशि रूपये 11,79,571/– एवं रूपये 15,96,221/– छात्रवृत्ति भुगतान की गई है।

अपर प्रबंध संचालक (टा.फो.)
म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष
मंत्रालय, भोपाल